यालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलौदी

राजेन्द्र कुमार बनाम तहसीलदार बापिणी
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 115 / 2025 Gcms No. 2025/68	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में पैरोकार अभिभाषक उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री शेरसिंह भाटी अप्रार्थीगण संख्यां (01)की ओर से :– राज–पैरोकार। अप्रार्थी की ओर से :– स्वंय उपस्थित। **–: निर्णय :–** दिनांक :– 19/11/2025 प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम नाहरसिंह नगर के खसरा नम्बर 692 / 1 रकबा 4.1359 हैक्टेयर, खसरा नं. 684 / 2 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नं. 692 / 2 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा नं. 700 रकबा 14.4715 हैक्टैयर एवं ग्राम बापिणी के खसरा नं. 767 रकबा 1.0117 हैक्टैयर, एवं तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम कड़वा में खसरा नं. 464 रकबा 5.5766 हैक्टेयर खसरा नं. 442 रकबा 20.460 हैक्टैयर की भुमि प्रार्थी संयुक्त खातेदारी की स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम राजूसिंह पुत्र भींवसिंह तथा राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भींवसिंह के नाम भूमि आई हुई हैं। प्रार्थी की भुमि के अलावा अन्य सभी कागजातों में नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र भींव सिंह दर्ज हैं। तथा जमीन में नाम राजूसिंह पुत्र भींवसिंह तथा राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भींवसिंह गलत दर्ज होने पर पक्षकार को अनेक परेशानीयों का सामना करना पड रहा हैं। और नाम को लेकर भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो जिसके लिए राजस्व जमाबन्दी में नाम सही एंव दुरूस्त करवानें हेतु हल्का पटवारी व भु.अभिलेख निरीक्षक से निवेदन किया गया कि वास्तविक नाम के मुताबिक जमाबन्दी में राजेन्द्र कुमार पुत्र भींव सिंह दर्ज करना भु–अभिलेख अधिकारी का दायित्व हैं परन्तु इन्कार कर दिया। जिसके कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरीये समन तलब किया गया। अप्रार्थी को भेजे गये समन की डाक रसीदें न्यायालय में पेश की जो शामिल मिसल की गयी। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बापिणी से रिकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार की तरफ से जबाब के साथ रिकार्ड जांच रिपोर्ट एंव मियुटेशन की प्रति प्रस्तुत हुई जो शामिल मिसल की गयी। तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट में बताया की नामान्तकरण संख्यां 1617 में प्रार्थी खातेदार भुमि में दर्ज हुंआ। स्वभाविक मानवीय सदभाविक भुल से में जमाबन्दी में राजूसिंह पुत्र भींवसिंह तथा राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भींवसिंह दर्ज हो कर गलत प्रविष्टि हुई हैं। वर्तमान चालु जमाबन्दी में राजूसिंह पुत्र भींवसिंह तथा राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भींवसिंह दर्ज हैं तथा तहसीलदार जांच रिपोर्ट अनुसार राजूसिंह पुत्र भींवसिंह तथा राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भींवसिंह के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र भींव सिंह सही नाम दर्ज किया जाना व	

सहायक कलेक्टर बापिणी

सह–खातेदारान् ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर कर उचित बताया है। तथा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का नाम राजूसिंह पुत्र भींवसिंह तथा राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भींवसिंह से राजेन्द्र कुमार पुत्र भींव सिंह किया जाना है तथा जांच रिपोर्ट के तहत राजूसिंह पुत्र भींवसिंह तथा राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भींवसिंह के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र भींव सिंह किये जाने योग्य बताया है। पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थी की अन्तिम बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के पैरान को दौहराते हुऐ जांच रिपोर्ट का समर्थन किया और बताया कि राजूसिंह पुत्र भींवसिंह तथा राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भींवसिंह से राजेन्द्र कुमार पुत्र भींव सिंह कर सही किया जावें और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं रिर्पोट का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन करने पर स्पष्ट है कि तहसीलदार बापिणी द्वारा नामान्तकरण व जांच रिपोर्ट सामिल मिशल किया गया और जांच रिपोर्ट के अनुसार नाम परिवर्तन किया जाना है। ओर प्रार्थी का नाम सही दर्ज करवाने की आवश्यकता है। इसलिए धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

<u>–:: आदेश ::–</u>

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम नाहरसिंह नगर के खसरा नम्बर 692/1, खसरा नं. 684/2, खसरा नं. 692/2, खसरा नं. 700एवं ग्राम बापिणी के खसरा नं. 767, एवं तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम कड़वा में खसरा नं. 464, खसरा नं. 442 की जमीन में प्रार्थी का नाम राजूसिंह पुत्र भींवसिंह तथा राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भींवसिंह सद्भाविक भुल के कारण गलत प्रविष्ठि हो गयी। तथा उक्त खसरे की जमीन में राजूसिंह पुत्र भींवसिंह तथा राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भींवसिंह के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र भींव सिंह दर्ज सही कर करने की मौका फर्द पर सह–खातेदार ने हस्ताक्षर कर ईकबालिया जबाब एंव प्रार्थी के आधार कार्ड अनुसार भुमि में नाम परिवर्तित कर सही किया जाना है तथा उक्त सभी दस्तावेजी रिर्पोटों के अनुसार प्रार्थी का नाम राजूसिंह पुत्र भींवसिंह तथा राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भींवसिंह के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र भींव सिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। कि तहसीलदार बापिणी तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में राजेन्द्र कुमार पुत्र भींव सिंह दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जाकर न्यायालय विनिश्चय की पालना सुनिश्चित करे। पालनार्थ सम्बधित को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2025 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बापिणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बापिणी

सहायक कलक्टर बापिणी (फलोदी)